


①

R-3451-116

निगरानी प्रकरण क्र०/2016



- 1- मनभरण तिवारी तनय श्री रामहित तिवारी उम्र 54 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम कैमा उन्मूल तह० रघु० जिला सतना म०प्र०
- 2- श्रीमती शन्ति देवी पत्नी श्री ददन प्रसाद गौतम पुत्री श्री रामहित तिवारी निवासी कैमा उन्मूलन हाल निवासी ग्राम अतरहरां तह० रघु० जिला सतना म०प्र०..... निगराकारगण/अनावेदक क्र० 1 एवं 2
बनाम
- 1- छोटेलाल गर्ग तनय श्रीजगदीश गर्ग उम्र 80 वर्ष पेशा कृषि निवासी कैमा उन्मूलन तह० रघु० जिला सतना म०प्र०.....आवेदक/गैरनिगराकार्य
- 2- मृतक रामखेलवान तनय रघुनाथ ब्रा० निवासी कैमाउन्मूलन तह० रघु० जिला सतना म०प्र०
- 3- शासन म०प्र०.....गैरनिगराकार्य/अनावेदक क्र०3एवं4

144
03-10-16

श्री मुकेश मासिया
03-10-16

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
29/6/2016 प्रकरण क्र० 88 अ
74/2015/2016 न्यायालय श्रीमान
कलेक्टर सतना जिला सतना म०प्र० के
विरुद्ध।

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०स०

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है।

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य

यह कि मौजा कैमाउन्मूलन तह० रघु० जिला सतना म०प्र० की आराजी न० 154 रकवां 3.415 हे० कीआराजी मे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रेस्पान्डेंट क्र० 1 छोटेलाल गर्ग का नाम राजस्व अभिलेखो मे भूमिस्वामी के रूप मे दर्ज होने के कारण निगराकारगणो ने राजस्व अभिलेखो को दुरुस्त करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धाना 113 म०प्र०भू०रा०स० के तहत अनुविभागीय अधिकारी तह० रघु० जिला सतना म०प्र० के न्यायालय मे प्रस्तुत किये थे उक्त आवेदन पत्र के द्वारा पर अनुविभागीय अधिकारी तह० रघु० जिला सतना म०प्र० के न्यायालय से राजस्व प्रकरण क्र० 4/सी० 129/2012-13 आदेश दिनांक 19/3/2013 के द्वारा निगराकारगणो का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा कैमा उन्मूलन तह० रघु० जिला सतना म०प्र० कीआराजी न० 154 से गैरनिगराकार क्र०1 का नाम खसरे से भूमिस्वामी के रूप से विलोपित किया जाकर निगराकारगणो का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था जिसके विरुद्ध गैरनिगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी तह० रघु०जिला सतना के न्यायालय मे समकक्ष अधिकारी के आदेश के विरुद्ध समकक्ष अधिकारी के यहा अपील किया था जिसमे निगराकारगणो ने प्राथमिक अपत्ति इस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


①

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3451-दो/2016

जिला सतना

मनभरण विरूद्ध छोटेलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 88/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 11-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	

